समाचार
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
आयोजन समारोह की सूचना 03 दिवस पूर्व निगम को देना आवश्यक
(आयुक्त श्री एस.के. दुबे ने ज्ञापन जारी कर आयोजकों, कैटरर्स, टेंट संचालकों को दिए निर्देश, सूचना न देने पर है जुर्माने का प्रावधान)

कोरबा 18 मार्च 2019 –आयुक्त श्री एस.के. दुबे ने आयोजकों, कैटरर्स, टेंट संचालकों को ज्ञापन जारी कर कहा है कि कोई भी ऐसा आयोजन या समारोह जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, की सूचना नगर पालिक निगम कोरबा को आयोजन के 03 कार्य दिवस पूर्व में देवें। सूचना न देने की स्थिति में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत उप विधियां 2018 के तहत निर्धारित जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी, उन्होने कहा है कि आयोजन के दौरान डिस्पोजल, गिलास, प्लास्टिक का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

यहां उल्लेखनीय है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत उप विधियां 2018 का छत्तीसगढ़ असाधारण राजपत्र दिनांक 18 जनवरी 2019 की अनुसूची अपराध कोड क्र. 5 के अनुसार अग्रिम रूप से कम से कम 03 कार्य दिवस में निगम को सूचित किए बिना किसी गैर अनुज्ञापित स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित करने पर प्रथम अपराध के लिए 2000 रूपये जुर्माना एवं पुनः अपराध के लिए 3000 रूपये का जुर्माना किए जाने का प्रावधान रखा गया है। आयुक्त श्री एस.के. दुबे ने तत्संबंध में सर्वजनमानस, संबंधित कैटरर्स, टेंट संचालकों को सूचित करते हुए कहा है कि 100 से अधिक लोगों के लिए समारोह में भोजन की व्यवस्था किए जाने पर निगम के जोन स्वच्छता अधिकारी को 03 दिवस पूर्व सूचना दिया जाना अनिवार्य है, साथ ही कार्यक्रम के दौरान निकलने वाले गीले व सूखे कचरे का निष्पादन स्वयं संबंधित कैटरर्स, प्रतिष्ठान को करना होगा, उन्होने स्पष्ट रूप से कहा है कि डिस्पोजल, गिलास, प्लास्टिक आदि का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा, अन्यथा प्रकाशित राजपत्र के प्रावधानानुसार जुर्माने की कार्यवाही कर दण्डित किया जाएगा।

जोन कमिश्नर, जोन स्वच्छता अधिकारी अनुमति हेतु अधिकृत– आयुक्त श्री एस.के. दुबे ने उक्तानुसार आयोजन आदि की अनुमति दिए जाने हेतु छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) के तहत अपने–अपने जोनांतर्गत नगर पालिक निगम कोरबा के जोन कमिश्नरों एवं जोन स्वच्छता अधिकारियों को अधिकृत किया है।